भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधि कार्य विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1806
जिसका उत्तर शुक्रवार, 11 फरवरी, 2022 को दिया जाना है

ऑनलाइन विवाद समाधान

1806. श्री खगेन मुर्मु :

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :
(क) क्या सरकार ने इस बात पर ध्यान दिया है कि वर्तमान वैश्विक महामारी की स्थिति ने निजी विवाद समाधान केंद्रों और संपूर्ण विश्व के न्यायालयों ने प्रौद्योगिकी-आधारित दृष्टिकोण अपनाया है और कार्यवाही में वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग-समर्थित भागीदारी में शामिल होने के लिए पर्याप्त नयाचार को अनुमति दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार द्वारा इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ऑनलाइन विवाद समाधान (ओडीआर) के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग इस चुनौतीपूर्ण समय में न्यायिक प्रक्रिया को सुविधाजनक बना सकता है, इस संबंध में क्या पहल किए जाने का प्रस्ताव है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) और (ख) : जी हां । वीडियो कान्फ्रेंसिंग का जारी कोविड महामारी की अवधि के दौरान न्यायालयों के मुख्य आधार के रुप में आविर्भाव हुआ है, क्योंकि भौतिक सुनवाई और सामूहिक पद्धति में सामान्य न्यायालय कार्यवाहियां संभव नहीं थी । ऐसे समय में, न्याय करने को सुकर बनाने के लिए एक वीडियो कान्फ्रेंस उपस्कर सभी न्यायालय परिसरों में उपलब्ध कराया गया है, जिसके अंतर्गत ताल्लुक स्तर न्यायालय भी हैं और 14,443 न्यायालय कक्षों के लिए अतिरिक्त वीडियो कान्फ्रेंस उपस्करों हेतु अतिरिक्त निधियां मंजूर की गई हैं । 2506 वीडियो कान्फ्रेंस केबिनों की स्थापना करने के लिए निधियां उपलब्ध कराई गई हैं । 1500 अतिरिक्त वीडियो कान्फ्रेंस अनुज्ञप्तियां प्राप्त की गई हैं । 3240 न्यायालय परिसरों और तत्स्थानी 1272 जेलों के मध्य वीडियो कान्फ्रेंसिंग सुविधाएं पहले ही समर्थित है । 1732 दस्तावेज विजुअलाइजरों के उपापन हेतु 7.60 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है । इसके अतिरिक्त, मुकद्दमा लड़ने वाले व्यक्तियों/वकीलों द्वारा याचिकाओं और आवेदनों को फाइल करने के लिए और चालू मामलों पर जानकारी तथा निर्णयों और आदेशों आदि की प्रतियां अभिप्राप्त करने हेतु एकल खिड़की के रुप में कार्य करने हेतु न्यायिक सेवा केंद्र (जेएससी) स्थापित किए गए हैं । इसके अतिरिक्त, मुकद्दमा लड़ने वाले व्यक्तियों और वकीलों को ई-फाइलिंग सेवाएं उपलब्ध करके डिजिटल विभाजन को दूर करने के लिए ई-सेवा केंद्र बनाए गए हैं । सरकार ने ई-सेवा केंद्र स्थापित करने के लिए 12.54 करोड़ रुपये

जारी किए हैं । 31.12.2021 तक, 25 उच्च न्यायालयों के अधीन जिला न्यायालयों में 451 सेवा केन्द्रों को क्रियाशील बना दिया गया हैं । विभिन्न पणधारियों को प्रशिक्षित करने के लिए और उन्हें न्यायालय डिजिटाइजेशन पहलों से अवगत कराने हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम और जागरुकता अभियान भी आयोजित किए गए हैं । निजी विवाद समाधान केंद्रों से संबंधित आंकड़े/जानकारी सरकार द्वारा संकलित नहीं की गई है ।

(ग) : भारत में ऑन-लाइन विवाद समाधान (ओडीआर) की संकल्पना अभी प्रारंभिक अवस्था में है । नीति आयोग ने इसे अग्रेषित करने हेतु एक उच्च स्तरीय समिति गठित की थी और "विवाद समाधान के भविष्य की अभिकल्पना : भारत के लिए ऑन-लाइन विवाद समाधान नीति योजना" नामक समिति की रिपोर्ट 29.11.2021 को जारी की गई थी । इसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, ऑन-लाइन विवाद समाधान को सस्ती, सुविधाजनक, दक्ष प्रक्रिया के रूप में मुख्य धारा में लाने की सिफ़ारिश की गई है, जिसे विवाद की प्रकृति पर विचार करते हुए, पक्षकारों की विनिर्दिष्ट आवश्यकताओं के अनुकूल बनाया जा सकता है । भारत सरकार ने ऑन-लाइन विवाद समाधान के महत्व को भी अभिस्वीकार किया है और 20.12.2021 को राज्य सभा में पुर:स्थापित मध्यकता विधेयक, 2021 में अपेक्षित उपबंध के माध्यम से ऑन-लाइन विवाद समाधान के लिए विधिक मंजूरी का प्रस्ताव करती है । यह विधेयक, पक्षकारों की दूरी की बाधा को दूर करके, ऑन-लाइन मुकद्दमा-पूर्व मध्यकता को, विवाद समाधान की एक स्वीकार्य और लागत अनुकूल प्रक्रिया के रुप में मान्यता देता है ।

****